

**बिहार सरकार,
भवन निर्माण विभाग**

प्रेषक,

सुधांशु शेखर राय,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,

सेवा में,

मुख्य अभियंता (विद्युत),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

विषय:- न्यायिक भवनों में अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से विद्युत वायरिंग एवं कनेक्शन को सुदृढ़ करने के संबंध में।

महाशय,

दिनांक 06.11.2023 को विद्वान महाधिवक्ता, बिहार की अध्यक्षता में न्यायालयों की सुरक्षा के संबंध में संपन्न बैठक में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार द्वारा न्यायिक भवनों (विशेषकर पुराने भवन) में लूज विद्युत वायरिंग एवं कनेक्शन पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। विदित हो कि लूज विद्युत वायरिंग एवं कनेक्शन से आग लगने का खतरा बना रहता है।

अतः निदेश है कि न्यायिक भवनों (विशेषकर पुराने भवन) का निरीक्षण कराकर अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से विद्युत वायरिंग एवं कनेक्शन को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

६०१-

(सुधांशु शेखर राय)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

प्रतिलिपि:- सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत)/सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत), भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६०१-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६०१-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

प्रतिलिपि:- आई. टी. मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

११५१(अ)

दिनांक ८/११/२३

-सह-विशेष सचिव

६०१-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव